प्रेषक,

नवज्योति
अपर सिविल जज (अवर खण्ड)
कक्ष संख्या-10 बुलन्दशहर।

सेवा में,

आदरणीय महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

विषयः- शासनादेश सं० 1705/दो-4-2011-45(12)/91 टी०सी० लखनऊ दिनांक 03-01-2012 एवं शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी०सी० लखनऊ दिनांक 13-05-2010 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मेरे चयन के समय विधि स्नातकोत्तर एल० एल० एम० उपाधि धारक होने के कारण तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मंहगाई भत्ता नियुक्ति की तिथि 16-12-2019 से प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान विन्रम निवेदन है कि प्रार्थिया ने दिनांक 16-12-2019 को अपर सिविल जज (अवर खण्ड) कक्ष संख्या-10 बुलन्दशहर के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थिया उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर होने के कारण ग्रहण करने की दिनांक 16-12-2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महगाई भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त विधि स्नातकोत्तर उपाधि धारक होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के आवेदन पत्र में भी वर्णित किया है।

अतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थीया को पदभार ग्रहण करने की दिनांक 16-12-2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय महंगाई भता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिए प्रार्थीया का प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांकः- 03.08.2022

भवदीया

Navjyoti 03/8/2022
(नवज्योति)
अपर सिविल जज (अवर खण्ड)
कक्ष संख्या-10 बुलन्दशहर।

संलग्नकः-

1- विधि स्नातकोत्तार परीक्षा के अंकनपत्र की छायाप्रति।
2- विधि स्नातकोत्तार उपाधि की छायाप्रति।